# *न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर*

*पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.*

2021-263RAAJodhpur2021-91 RTA223 Maheshpuri ors Vs Uma Goswami etc

01. महेशपुरी पुत्र चेतनपुरी जाति गोस्वामी, निवासी पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
02. अशोकपुरी पुत्र चेतनपुरी जाति गोस्वामी, निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**

**ना**

**म**

01. उमा गोस्वामी पत्नी अशोक गिरी, पुत्री चेतनपुरी जाति गोस्वामी, निवासी पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
02. रामजोत गोस्वामी पत्नी जगदीशपुरी, पुत्री चेतनपुरी जाति गोस्वामी, निवासी पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, हाल निवास नासिक।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड शहर, जिला जोधपुर ।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2021 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 195/2013 उमा गोस्वामी व अन्य बनाम महेशपुरी इत्यादि**

**उपस्थित–**

श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री चेतन प्रकाश सोनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्यातीन

## नि र्ण य

**दिनांक : 13 जून 2025**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 195/2013 अनवान उमा गोस्वामी व अन्य बनाम महेशपुरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 अगस्त 2021को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 41 नियम 24 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर बेचाननामा बहक चेतनपुरी एवं वसीयतनामा रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दोने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीग्राम जालखा तहसील पीपाड़ शहर के खेतखसरा संख्या 162 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नंबर 165 रकबा 14.04 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 28.03 बीघा के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03 जून 2021 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 41 नियम 24 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की शहादत बंद कर दी गई एवं इसके बारे में उनके अधिवक्ता ने भी अपीलांट्स को सूचित नहीं किया गया एवं न ही शहादत हेतु बुलाया गया। इस कारण अपीलांट्स अपनी ओर से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। वादग्रस्त आराजी स्व. चेतनपुरी जी की खरीदसुदा होने के संबंध में बेचाननामा एवं स्व. चेतनपुरीजी द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत अपीलांट्स के पक्ष में करने के दस्तावेज अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत किये जा रहे है जो अपील के निस्तारण में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होंगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जावे एवं उक्त दस्तावेजात को रेकर्ड पर लिया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। उनकी ओर से शहादत प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर उक्त दस्तोवज स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मामले निस्तारण में महत्वपूर्ण एवं सहायक दस्तावेज साबित होने से न्याय

हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 24 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं बेचाननामा बहस चेतनपुरी एवं वसीयतनामा रेकर्ड पर लिया जाता है।

तत्पष्चात अपील पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि स्व. चेतनपुरी ने पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये सन् 1972 में क्रय की थी, जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी वादीनीगण की पुश्तैनी भूमि न होकर स्व. चेतनपुरी की स्वअर्जित भूमि रही है। स्व. चेतनपुरी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट्स के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिसकी पालना में वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में किसी भी सुरत में उपरोक्त आराजी को पुश्तैनी भूमि नही माना जा सकता।विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की शहादत मनमाने ढंग से बंद कर दी एवं वाद का फैसला कर दिया।अपीलार्थीगण के पक्ष में स्व. चेतनपुरी द्वारा वसीयतनामा निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया उस पंजीकृत दस्तावेज को जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता वादीगण को वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वादकरण पैदा होना नही माना जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि वादीनीगण द्वारा वसीयत फर्जी होने के संबंध में फौजदारी मुकदमा पेश किया, जिसमें पुलिस ने एफ.आर. पेश कर दी। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के वाद कथनो के अनुसार वाद बिन्दू कायम ही नही किये, जबकी पक्षकारान के वाद कथनो के अनुसार वाद बिन्दू कायम किये जाने चाहिये थे। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादीगण का दावा डिक्री कर दिया तथा दावे में बनाये गये वाद बिन्दूओं को निर्णित ही नही किया एवं दावे का फैसला कर दिया । न्यायालय के निर्णय से यह कतई स्पष्ट नही होता कि किस वाद बिन्दू पर क्या निर्णय दिया गया एवं क्यो दिया गया, जबकी प्रत्येक वाद बिन्दू को कारण सहित निर्णित किया जाना लाजमी था। विचारण न्यायालय ने दावे में कोई घोषणात्मक डिक्री जारी नही की एवं सीधे विभाजन प्रस्ताव तलब कर दिया। जब तक पक्षकारान के हिस्से बाबत कोई घोषणा नहीं कर दी जाती, तब तक कोई विभाजन प्रस्ताव मंगवाया ही नही जा सकता एवं न प्राथमिक डिकी जारी की जा सकती है। अपीलार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज है, जबकि वादीगण न तो विवादग्रस्त भूमि के खातेदार है एव न उन्हें कोई खातेदारी अधिकार अर्जित हुए है

तथा न उनका कोई विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। विचारण न्यायालय ने केवल वादीगण के जबानी कथन को आधार मानकर डिक्री कर दिया, जबकि वादीगण अपने दावे को किसी दस्तावेजी शहादत से प्रमाणित नहीं कर सके थे एवं विवादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी माने जाने हेतु पत्रावली पर कोई शहादत नही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बिना कोई ठोस साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण के हितों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वाराराजस्व मूल वाद संख्या 195/2013 अनवान उमा गोस्वामी व अन्य बनाम महेशपुरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2021 को अपास्त किया जावे एवं वादीनीगण के वाद को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीनीगण की पुष्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादीनीगण का पुष्तैनी रूप से हक हिस्सा निहित है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वादीनीगण के वाद के खण्डन मे किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रीट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीनीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध विक्रय विलेख दिनांक 19.07.1972 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 162 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नंबर 165 रकबा 14.04 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 28.03 बीघा ग्राम जालखा अपीलांट्स एवं रेस्पो. के पिता चेतनपुरी पुत्र रणजीतपुरी की खातेदार अर्जुनसिंह पुत्र सिमरथसिंह कौम राजपूत निवासी– रामपुरीया तहसील बिलाड़ा से खरीदसुदा स्वअर्जित संपति रही है। खातेदार

चेतनपुरी द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 05.10.2011 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी सहित अन्य सभी संपतियों की वसीयत अपने दोनो पुत्रों महेषपुरी एवं अषोक पुरी/अपीलांट्स के नाम किया जाना प्रकट होता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त मामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना तथा खातेदारी घोषणा के वाद में वादीनीगण के हिस्से घोषित किये बिना सीधे ही विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 195/2013 अनवान उमा गोस्वामी व अन्य बनाम महेशपुरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2021 निरस्त किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विरचित तनकीयात पर तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए मामले का पुनः विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर